

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-directorateoffood@gmail.com, website- www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 98 / वि.स.-1005 / 2025

अटल नगर, दिनांक 14 / 02 / 2025


प्रति,

1. कलेक्टर,  
जिला-बस्तर, कांकेर, कोण्डागांव,  
नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं  
सुकमा, छत्तीसगढ़
2. प्रबंध संचालक,  
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.,  
अटल नगर, नवा रायपुर
3. प्रबंध संचालक,  
अपेक्स बैंक,  
नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.

विषय:- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1005 तारांकित द्वारा श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य विधानसभा।

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1005 तारांकित की प्रति संलग्न है। उपरोक्त विधानसभा प्रश्न के उत्तर यूनिकोड फॉन्ट में पूरक जानकारी सहित दिनांक 17.02.2025 तक ई-मेल के माध्यम से भिजवाने का कष्ट करें। उत्तर के परिशिष्ट एक पेज से अधिक होने की स्थिति में सीडी अथवा ई-मेल (dirfood.cg@nic.in/directorateoffood@gmail.com) के माध्यम से परिशिष्ट की जानकारी यूनिकोड फॉन्ट में हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते हैं)

संलग्न-उपरोक्तानुसार


  
अपर संचालक  
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर  
संचालनालय, रायपुर

पृ.क्रमांक- 99 / वि.स.-1005 / 2025

अटल नगर, दिनांक 14 / 02 / 2025

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, जिला-बस्तर, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा, छत्तीसगढ़। निर्धारित समय-सीमा में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होने पर संबंधित खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

  
अपर संचालक  
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर  
संचालनालय, रायपुर

## छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 25/02/2025

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 04/03/2025

विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : धान खरीदी के दौरान अवैध रूप से धान संग्रहित कर रखने व परिवहन करते समय की गई जब्ती ।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 1005) श्रीबघेल लखेश्वर

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में धान खरीदी वर्ष 2024-25 के दौरान अवैध रूप से धान संग्रहित कर रखने व परिवहन करते समय कहां-कहां व कितने क्विंटल धान की जब्ती की गई ? कृपया बतावें? (ख) इन जब्ती प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति बतावें ?

Sent From : vidhan | Sent Date : 14/02/2025 11:05:15 |

Remark :

कोले बस्तर, कांकेर,  
कोडेगाव, नारायणपुर,  
इन्तेवाड़ा, बीजापुर, मुक्तगा  
मिहकंड, सोपान बैक